संख्या-29/2021/338/71-1-2020-जी-94/2018टी0सी0-5

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 22 फरवरी, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज तथा मेरठ में हाउसकीपिंग सेवाओं हेतु मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/03, दिनॉक 25-01-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में मानक मद-01-वेतन में रू0 465.00 लाख तथा मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़ में रू0 235.50 लाख, कुल रू0 700.50 लाख की बचत को में हाउसकीपिंग सेवाओं के संचालनार्थ मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, प्रयागराज में रू0 413.00 लाख तथा मेडिकल कालेज, मेरठ में रू0 287.50 लाख कुल रू0 700.50 लाख (रू0 सात करोड़ पचास हजार मात्र) संलग्न बी0मए0-9 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 एवं शासनादेश दिनॉक 11.04.2020, 18.05.2020 तथा 29.09.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

6- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

7- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-195/दस-2021, दिनॉक 17 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:- 29/2021/338(1)/71-1-2021 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज तथा मेरठ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज तथा मेरठ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज तथा मेरठ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://sasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	वित्तीय वर्ष 2020-21	प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा–					
24–मेडिकल कालेज, आजमगढ–					
01–वेतन	3808.36	465.00	465.00	465.00	3343.36
50–मेडिकल कालेज, प्रतापगढ–		235.50	235.50		
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	400.00	~~250.00~~	~~250.00~~	~~250.00~~ 235.50	~~150.00~~ 164.50
~~51–मेडिकल कालेज, फतेहपुर–~~					
~~31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)~~	~~400.00~~	~~250.00~~	~~250.00~~	~~250.00~~	~~150.00~~
52–मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर–					
~~31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)~~	~~400.00~~	~~280.00~~	~~280.00~~	~~280.00~~	~~120.00~~
~~53–मेडिकल कालेज, देवरिया–~~					
~~31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)~~	~~400.00~~	~~156.00~~	~~156.00~~	~~156.00~~	~~244.00~~
~~योग–~~	~~5408.36~~ 4208.36	~~1401.00~~	~~1401.00~~	~~1401.00~~ 700.50	~~4007.36~~ 3507.86

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण 700.50		700.50	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा–					
40–मेडिकल कालेज, प्रयागराज–		863.00	413.00	413.00	863.00
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान–	450.00	~~1276.00~~	~~826.00~~	~~826.00~~	~~1276.00~~ 96.51
41–मेडिकल कालेज, मेरठ–		887.50	287.50	287.50	887.50
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान–	600.00	~~1175.00~~	~~575.00~~	~~575.00~~	~~1175.00~~ 45.30
कुल योग–	1050.00	~~2451.00~~ 1750.50	~~1401.00~~ 700.50	~~1401.00~~ 700.50	~~2451.00~~ 1750.50

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद 01–वेतन के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, आजमगढ में रू0 465.00 लाख एवं मानक मद 31–सहायता अनुदान– सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत कमशः मेडिकल कालेज, प्रतापगढ में रू0 250.00 लाख, ~~मेडिकल कालेज, फतेहपुर में रू0 250.00 लाख, मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर में रू0 280.00 लाख, मेडिकल कालेज, देवरिया में रू0 156.00 लाख, कुल रू0 1401.00 लाख~~ की बचत सम्भावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

शासनादेश संख्या–773/71–1–2020–जी–16/2016टी0सी0–1, दिनांक 31 मार्च, 2020 द्वारा मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में हाउसकीपिंग एवं सेनीटेशन का कार्य ई–निविदा में एल–1 घोषित सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सियों से आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के आधार पर कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके निमित्त मानक मद–58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में क्रमशः मेडिकल कालेज, प्रयागराज में रू0 826.00 लाख तथा मेडिकल कालेज, मेरठ में रू0 575.00 लाख, कुल रू0 1401.00 लाख का व्यय सम्भावित है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

कालेज का नाम	मानक मद 58 में बजट प्राविधान (रू0 लाख में)	दिनांक 22.01.2021 तक व्यय प्रतिशत	औचित्य
मेडिकल कालेज, प्रयागराज	450.00	96.54	पुनर्विनियोग हेतु सन्दर्भगत मेडिकल कालेज, प्रयागराज एवं मेरठ में मानक मद–58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में क्रमशः रू0 826.00 लाख एवं रू0 575.00 लाख प्रस्तावित किये जाने का औचित्य यह है कि उक्त धनराशि से हाउसकीपिंग एवं सेनीटेशन हेतु आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज की एजेन्सी को भुगतान किया जाना है।
मेडिकल कालेज, मेरठ	600.00	95.3	

संख्या– आर0ई0–3सत्र–दिनांक–15/02/2021

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

संख्या– 338 /71–1–2021–जी–94/2018टी0सी0–5

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– कोषाधिकारी, प्रयागराज तथा मेरठ।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– गार्ड फाइल।

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

Anu S.P.M.